

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 80 : Payment of tax and other amount in instalments

On an application filed by a taxable person, the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, extend the time for payment or allow payment of any amount due under this Act, other than the amount due as per the liability self-assessed in any return, by such person in monthly instalments not exceeding twenty four, subject to payment of interest under section 50 and subject to such conditions and limitations as may be prescribed:

Provided that where there is default in payment of any one instalment on its due date, the whole outstanding balance payable on such date shall become due and payable forthwith and shall, without any further notice being served on the person, be liable for recovery.

धारा 80 : कर और अन्य रकम का किस्तों में संदाय

किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर, आयुक्त कारणों को लेखबद्ध करते हुए, संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा या इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी विवरणी में स्वः निर्धारित दायित्व के अनुसार शोध्य रकम से भिन्न किसी रकम का संदाय, धारा 50 के अधीन ब्याज के स्वः के अधीन रहते हुए और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए चौबीस से अनधिक मासिक किस्तों में संदाय करने को अनुज्ञात कर सकेगा :

परन्तु जहां किसी अंतिम तारीख को किसी एक किस्त के संदाय में कोई व्यतिक्रम होता है वहां उस तारीख को संदेय संपूर्ण बकाया अतिशेष शोध्य हो जाएगा और तुरंत संदेय होगा तथा बिना किसी और सूचना को ऐसे व्यक्ति पर तामील किए बिना वसूली के लिए दायी होगा।